न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री संजयकुमार, आर.ए.एस.

प्रथम राजस्व अपील संख्या — 43 / 2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मदनसिंह पुत्र उदयसिंह, पुरोहित, निवासी मुडी,तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 28.6.2016(प्र.सं. 622 / 2016)

उपस्थिति :–
1.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय — दिनांक 18.9.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट का एक पट्टासुद,कब्जासुद भूखण्ड 75 गुणा 60 वर्गफीट यानि 4500 वर्गफीट का मौजा मुडी के गत खसरा नम्बर 146 में आया हुआ है जिसका पट्टा अपीलांट के पिता उदयसिंह पुत्र समरथसिंह ,जाति राजपुरोहित को सरपंच,ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख (बेनामा) बनाकर पट्टा सं. 30 दिनांक 6.12. 1986 को खसरा नम्बर 146 में जारी कर कब्जा सुपुर्द किया था । दौराने रि–सैटलमेन्ट उक्त खसरे के दो नम्बर पडे जो खसरा नम्बर 299 व 300है, सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने बगैर मौके की जांच किये गत खसरा नम्बर 146 में जारी किये पट्टे की जांच नही कर गत खसरा नम्बर 146 जारी पट्टे के आधार पर अपीलांट को खसरा नम्बर 300 का भाग बता दिया एवं खसरा नम्बर 300 को बारानी सोयम सरकारी भूमि दर्शा दिया जबकि अपीलांट के पिता को गत खसरा नम्बर 146 मे पट्टा सं. 30 जारी कर कब्जा दिया था। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र खसरा नम्बर 300 को सरकारी भूमि मानते हुए अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। प्रथम बार नोटिस मिलने पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाब दिया जा चुका था व पट्टा पेश कर दिया था एवं रेकार्ड की तमाम नकलों की फोटो प्रति भी पेश की जा चुकी थी फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करावे। इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट के पिता उदयसिंह पुत्र समरथसिंह, राजपुरोहित को सरपंच, ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा

आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा सं. 30 दिनांक 6.12.1986 को खसरा नम्बर 146 में जारी कर कब्जा सुपुर्द किया था , तब से आज तक अपीलांट के पिता को जिस स्थान पर बैठाया था उसी जगह अपीलांट का कब्जा लगातार चला आ रहा है।रि–सैटलमेन्ट के दौरान् गत खसरा नम्बर 146 के खसरा नम्बर 299 व 300 बने है,सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने बगैर जांच किये अपीलांट को खसरा नम्बर 300 का भाग बता दिया एवं खसरा नम्बर 300 को बारानी सोयम दर्शा दिया जबकि तहसीलदार जालोर से प्राप्त दिनांक 14.6.2018 की मौका जांच रिपोर्ट में अपीलांट का कब्जा थोडा खसरा नम्बर 300 में था जो दिनांक 6.9.2016 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के आदेशानुसार मौके से बेदखल कर दिया था ,उक्त कब्जे के उपरान्त गैरसायल का कब्जा खसरा नम्बर 299 आबादी में ही बना हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 28.6.2016 को निरस्त करावे। इसके विपरीत सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा मौजा मुडी के खसरा नम्बर 300 में से 0.046 हेक्टर पर संवत् 2073 में वाडा कर कब्जा किया है जिस पर तहसीलदार जालोर ने पटवारी नरसाणा की धारा 91 की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को बाद सुनवाई के बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है, खसरा नम्बर 300 जिसकी किस्म बारानी सोयम है जो सरकारी भूमि है, अतः तहसीलदार जालोर ने बाद सुनवाई आदेश सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

3. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मौजा मौजा मुडी के खसरा नम्बर 300 कुल रकबा 0.65हेक्टर में से 0.04 हेक्टर भूमि, किस्म बारानी सोयम पर अतिक्रमण कर बाडा व पक्का मकान करने से पटवारी हल्का नरसाना की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक बिशनगढ द्वारा जांच की गई है, पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर ने प्रकरण दर्ज कर,अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर दिनांक 28.6.2018 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 627/2016 के अवलोकन से गैरसायल– मदनसिंह द्वारा अदालत मातहत में दिनांक 28.6.2016को जवाब मय पट्टे की फोटो प्रति के साथ पेश किया गया है जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा गत खसरा नम्बर 146 में उसके पिता उदयसिंह को पट्टा सं. 30 दिनांक 16.12.2016 को 75 गुणा 60 वर्गफीट यानि 4500 वर्गफीट का जारी किया गया है, जवाब में यह भी बताया कि खसरा नम्बर 300, गत खसरा नम्बर 146 का ही भाग है। इस प्रकार अपीलांट स्वयं स्वीकार करता हैं कि खसरा नम्बर 300 गत खसरा नम्बर 146 का ही भाग है। दूसरी तरफ, इस न्यायालय में दिनांक 27.6.2017को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 146 (जिसके खसरा नम्बर 299 व 300 बने है),की पैमायश करवाकर अपीलांट का कब्जे का खसरा बताने का निवेदन किया जिसकी तहसीलदार जालोर से पैमायश रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जालोर ने पत्र कमांकःभू.अ./2018/2191 दिनांक 26.6.18 से पैमायश रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि गत खसरा नम्बर 146 में बने खसरा नम्बर 299 आबादी भूमि में तथा खसरा

नम्बर 300 सरकारी भूमि सिवायचक है, खसरा नम्बर 300 में से मदनसिंह के भू भाग का थोडा अतिक्रमण था जो श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के आदेश अनुसार दिनांक 6.9.2016 को मौके से बेदखल कर दिया था,उसके उपरान्त अपीलांट का प्लोट खसरा नम्बर 299 आबादी में ही स्थित है। उक्तानुसार अपीलांट का अतिक्रमण संवत् 2073 में खसरा नम्बर 299 व 300 में दोनो में था भले ही खसरा नम्बर 300 में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के आदेशानुसार श्री मदनसिंह का अतिक्रमण पूर्व में हटा दिया हो। तहसीलदार जालोर ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्थिति स्पष्ट नही की हैं कि गैरसायल का कितना अतिक्रमण खसरा नम्बर 300 में था जो हटाया गया तथा शेष कितना कब्जा खसरा नम्बर 299में है। पटवारी हल्का नरसाणा द्वारा तहसीलदार जालोर को प्रस्तुत संवत् 2073 की धारा 91 की रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक बिशनगढ द्वारा जांच की गई है,पर अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 300 मे होना बताया है और इस न्यायालय द्वारा पैमायश मंगवाई जाने पर पैमायश रिपोर्ट दिनांक 14.6.2018 में पटवारी नरसाणा/भू अभिलेखनिरीक्षक द्वारा अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 299 व 300(खसरा नम्बर 300 का अतिक्रमण मौके से बेदखल कर दिया था) होना बताया है भले ही खसरा नम्बर 300 में से थोडा अतिक्रमण हटाया गया हो। इससे जाहिर होता हैं कि या तो पटवारी द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट दिनांक 8.6.2016 गलत रूप से पेश की गई है या दिनांक 14.6.18 की पैमायश रिपोर्ट गलत है। इस प्रकार गैरसायल के अतिक्रमण बाबत् सही स्थिति दर्शित नही होती है। अतः अपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 28.6.2016 (प्रकरण सं. 627/2016) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे मौका व रैकर्ड की जांच करे एवं जांच पश्चात् संवत् 2073 में अपीलांट का अतिक्रमण राजकीय भूमि पर होना पाया जाने पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 18.9.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर